

बिहार सरकार,
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक—

सचिका सं०— रेशम विविध ०४/१४

प्रेषक:

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

752

दिनांक—

27/5/14

सेवा में,

सभी जिलों के उप विकास आयुक्त सह सचिव जिला परिषद

विषय:- त्रि- स्तरीय पंचायतों को शक्तियों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन संबंधी परिपत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा हस्तकरघा एवं रेशम विकास के अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन केन्द्रों एवं विकास कार्यक्रमों के वेहतर कार्यान्वयन में त्रि-स्तरीय पंचायत निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायतों को निम्ननांकित शक्तियों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन किया जाता है—

1. हस्तकरघा एवं रेशम उद्योग के प्रति ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।
2. निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के रेशम-मलवरी, तसर, अण्डी पौधा रोपण के लिए प्रोत्साहित करना। इस हेतु विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का कन्वरजेन्श सुनिश्चित करना यथा—मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उत्प्रेरक विकास योजना आदि के सहयोग से क्षेत्र में अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करना।
3. हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र की योजनाओं के लिए इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें सूचीबद्ध करना।
4. कीटपालक, रीलर, स्पीनर, बुनाई कार्य से वास्तविक रूप से जुड़े बुनकरों, रंगरेज आदि को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा करना।
5. कीटपालन, उत्पादित कोये के भण्डारण एवं लाभकारी मूल्य पर विपणन के लिए प्रयास करना।
6. रीलिंग, स्पीनिंग एवं बुनाई, रंगाई, छपाई, फिनीशिंग एवं गारमेन्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्थल सहित लाभुकों को चिन्हित करना एवं प्रोत्साहित करना।
7. हस्तकरघा एवं रेशम कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, गोष्ठी, प्रदर्शनी, सेमिनार, प्रतियोगिता, क्षेत्र भ्रमण आयोजित करना।
8. बुनकरों एवं अनुषांगिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों एवं रेशम कीटपालक, रीलर, स्पीनरों के लिए संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का अनुश्रवण तथा सहजकर्ता की भूमिका में विभिन्न संस्थाओं से मिलकर कार्य करना।
9. महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना का बुनकरों के बीच प्रचार-प्रसार करना एवं उन्हें बीमित कराने हेतु प्रयास करना।
10. बुनकर क्रेडिट कार्ड निर्गत कराने हेतु सहयोग देना एवं इसके अन्तर्गत वितरित ऋण की समीक्षा।

11. विभागीय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर ग्रामीणों के उन्नुखीकरण एवं कौशल उन्नयन के कार्यक्रम आयोजित करना।

12. कोया भण्डार, बुनकर शेड/सामान्य सुविधा केन्द्र, सामुदायिक कीटपालन गृह एवं रीलिंग आदि आधारभूत संरचनाओं के लिए स्थल का चयन एवं संरचनाओं का निर्माण। इन आधारभूत संरचनाओं के देखरेख हेतु संस्थागत व्यवस्था करना।

13. उत्पादों के विपणन के लिए बाजार के साथ एवं अन्य संस्थानों के साथ संबद्धता हेतु प्रयास करना।


14. रेशम खाद्य पौधा रोपण, कीटपालन, कच्चे रेशम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारण, और इसकी प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी से तालमेल करना एवं उपलब्धि की समीक्षा करना।

15. हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र के सभी लाभार्थियों को अन्य विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों से जोड़ना।

16. हस्तकरघा एवं रेशम की क्षेत्रीय ईकाईयों के सहयोग से उपर्युक्त सभी कार्यक्रम संपादित कराये जायेंगे।

आग्रह है कि उक्त के अनुरूप पंचायतों को समुचित निदेश देने एवं मासिक बैठकों में इनका अनुश्रवण भी करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन


प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।